f

ग्राम पंचायत खबली, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1. **प्रस्तावना (क) :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या **PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669** दिनांक 07.04.2017 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खबली, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री तारा चन्द	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमति रिम्पी देवी	22-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री मोहनलाल	1-4-2014 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत खबली के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹लाखो में)**
1	5	रोकड़ बही तथा बैंकों के अन्तशेष में भारी अंतर	**6.47**
2	9	**पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष**	**0.38**
3	10	**अनुदान का उपयोग न करना**	**30.35**
4	11	**प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय**	**0.24**
5	**12**	**IWMP में अंशदान की राशि वसूली न करना**	**0.51**
6	**13**	**Assessment के बिना भुगतान करना**	**2.46**
7	**14**	**MNREGA से क्रय किये गये सीमेंट के मूल बिल उपलब्ध करवाना**	**2.20**

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत खबली, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1/4/2014 से 31/03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 28/8/2017 से

31/8/2017 तक ग्राम पंचायत खबली में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	4/2014	7/2014
2015-16	3/2016	6/2015
2016-17	8/2016	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत खबली, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217 /2017 दिनांक 31-8-2017 **द्वारा** अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति :-

सचिव ग्राम पंचायत खबली **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत खबली के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	306050	219244	525294	123499	401795
2015-16	401795	103018	504813	23554	481259
2016-17	481259	82668	563927	23535	540392

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत खबली के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1444859	2570217	4015076	2963564	1051512
2015-16	1051512	3649364	4700876	2898664	1802212
2016-17	1802212	3973729	5775941	2741256	3034685

5 बैंक समाधान विवरणी के तैयार न करने के परिणाम स्वरूप दिनांक 31-3-2017 को रोकड़ बही व बैंकों के अन्तशेष में ₹6.47 लाख का भरी अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खबली **द्वारा** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹647434.25 का अंतर था । अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष 540392

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 3034685

कुल अन्त ₹3575077

दिनांक 31-03-2017 को विभिन्न बैंकों में व पोस्ट ऑफिस में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार था ।

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	**KCCB DEHRA**	50056020145	64913

2	**KCCB DEHRA**	50056020190	149048
3	**KCCB DEHRA**	50056019991	89697
4	**KCCB DEHRA**	50056019957	109811
5	**KCCB DEHRA**	50056020305	15103
6	**KCCB DEHRA**	50056020258	128459
7	**KCCB DEHRA**	50056020270	9595
8	**KCCB DEHRA**	50056020214	71067
9	**KCCB DEHRA**	20008005398	105705
10	**HDFC DEHRA**	50100095497410	49729
11	**HDFC DEHRA**	50100095497400	10742.50
12	**HDFC DEHRA**	50100095497423	**1982935**
13	**HDFC DEHRA**	50100095497452	**18264**
14	**PNB DEHRA**	**4067000100471350**	**120163**
15	**POST OFFICE**	**85266**	**1759.25**
16	**CASH IN HAND**		**652**
		TOTAL	**₹2927642.75**

अंतर 3575077 - 2927642.75 = ₹647434.25

यह अंतर परिलक्षित करता है कि रोकड़ वहियों के रख रखाव में कितनी लापरवाही बरती गयी जिसके बारे में विस्तृत टिप्पणी अलग अनुछेद में की गयी है । अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहिओं का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए । भविष्य में भी रोकड़ वही के अन्तशेष को बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाए ।

6 रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार न करना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(1से 3) के अनुसार नहीं किया गया है । ग्राम पंचायत की लेखों की जाँच में रोकड़ वही के संदर्भ में नियम **विरूद्ध** की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गयी :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ वही में लेखंकित किये जाने का प्रावधान है । **परन्तु पंचायत द्वारा निधि एवं अनुदानों के रख रखाव के लिए अलग अलग 12 रोकड़ वहिओं का रख रखाव किया गया है** । तथा रोकड़ वही में प्रत्येक दिन / माह के अंतिम शेष की गणना नहीं की गयी । रोकड़ वही में बहुत ज्यादा cutting तथा overwriting की गयी है तथा योग नहीं लगाये गये हैं । प्रधान **द्वारा** भी अधिकतर मामलों में रोकड़ वही का सत्यापन नहीं किया गया है । **अत: नियमों के विरूद्ध 12 रोकड़ वहियों के निर्माण बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन**

अतिरिक्त रोकड़ वहियों वहिओं को बंद करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लेजर खातों का निर्माण करना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर विभिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग 12 रोकड़ वहियों का निर्माण करना ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है । प्रत्येक योजना के लिए लैजर बनाये जाने का उदेश्य किसी भी समय तुरंत योजना विशेष के बारे में वितीय स्थिती तथा उपलब्ध अन्तशेष जानकारी की उपलब्धता है । परन्तु इन लैजर का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना की गयी साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों को एकत्रित करने में समय व मानव श्रम की अनावश्यक बर्बादी होती है । **अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गयी इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए लैजर खातों का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए ।**

7 **डाकघर बचत खाते पर ब्याज प्राप्त न करना :--**

ग्राम पंचायत खबली **द्वारा** वितीय स्थिति में डाकघर देहरा के बचत खाता संख्या 85266 में दिनांक 31-3-2017 को **₹**1759.25 जमा दर्शाई गयी परन्तु पास बुक की जाँच करने पर पाया गया कि मास 12/1998 को भी बचत खाते में **₹**1759.25 जमा थी परन्तु उक्त अवधि के उपरांत जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया । अत: वांछित कार्यवाही अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

8 **नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

9 **पंचायत राजस्व ₹0.38 लाख की वसूली शेष :-**

पंचायत सचिव खबली **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹**38000 वसूली हेतु शेष था ।

1. **गृहकर :**

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	**0**	**20460**	**20460**	**20430**	**30**
2015-16	**30**	**37450**	**37480**	**37480**	**0**
2016-17	**0**	**38000**	**38000**	**0**	**38000**

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अत:

गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

10 अनुदान ₹30.35 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान **₹**3034685 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

11 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.24 लाख का अधिक व्यय;-

सचिव ग्राम पंचायत खबली **द्वारा** उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार 13th **FC** में दिनांक 31-03-2017 को **₹**24072 ऋणात्मक दर्शाई गयी है । जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन 13th **FC** में अथवा किसी अन्य योजना से 13th **FC** का भुगतान करने के फलस्वरूप है । इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं ।

12 IWMP में अंशदान ₹0.51 लाख की वसूली न करना;-

परियोजना निदेशक जिला जलागम विकास अभिकरण काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या 336-393 दिनांक 4-7-2012 **द्वारा** जारी दिशा निर्देशों के अनुसार " निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्सय पालन, बागबानी, कृषि वानिकी, पशु पालन इत्यादि जैसे आजीविका सम्बन्धित कार्य कलाप जिससे सम्बन्धित किसानो को सीधा फ़ायदा होता है तो उसके लिए सामान्य किसानों का अंशदान 20% तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का अंशदान 10% के बराबर होगा ! **परन्तु पंचायत ने इन लाभार्थियों से कोई भी अंशदान (WDF) प्राप्त न करने के कारण ₹51319 वसूली लाभार्थियों से नहीं की गयी है ।** अन्य मासों में किये गए भुगतानों के **beneficiary share** की गणना विभागीय स्तर पर करके राशि जमा करवाई जाये !

वाउचर संख्या IWMP V	**मास**	**विवरण**	**राशि**
4	4/2014	निर्माण खुरली श्री जोंकू राम	3812
4/1	4/2014	निर्माण खुरली श्री कश्मीर चन्द	3812
5	4/2014	निर्माण खुरली श्री देश राज	3812
6	4/2014	निर्माण खुरली श्री महिंदर सिंह	3812
7	4/2014	निर्माण खुरली श्री पवन कुमार	3812
8	4/2014	निर्माण खुरली श्री देश राज	3812
9	4/2014	निर्माण खुरली श्री राज कुमार	3812
10	4/2014	निर्माण खुरली श्री जोगिन्दर	3812
11	4/2014	निर्माण खुरली श्री जगदीश चन्द	3812
12	4/2014	निर्माण खुरली श्री त्रिलोक चन्द	3812
13	4/2014	निर्माण खुरली श्री अर्जुन सिंह	3812
14	4/2014	निर्माण खुरली श्री जीवन कुमार	3812
15	4/2014	निर्माण खुरली श्री बलबीर	3812

16	4/2014	निर्माण खुरली श्री जोगिन्दर	3812
17	4/2014	निर्माण खुरली श्रीमति सपना देवी	3812
18	4/2014	निर्माण खुरली श्री मान चन्द	3812
19	4/2014	निर्माण खुरली श्री प्रकाश चन्द	3812
20	4/2014	निर्माण खुरली श्री कर्ण सिंह	3812
21	4/2014	निर्माण खुरली श्री मेहर चन्द	3812
22	6/2014	निर्माण खुरली श्री किशोर चन्द	3812
23	6/2014	निर्माण खुरली श्री इन्द्रजीत सिंह	3812
24	6/2014	निर्माण खुरली श्री सतपाल	3812
25	6/2014	निर्माण खुरली श्री राजेंदर	3812
26	6/2014	निर्माण खुरली श्री कुशल सिंह	3812
27	6/2014	निर्माण खुरली श्री जोगिन्दर सिंह	3812
28	6/2014	निर्माण खुरली श्री प्यार चन्द	3812
29	6/2014	निर्माण खुरली महिंदर सिंह	3812
30	6/2014	निर्माण खुरली श्री राम स्वरूप	3812
31	6/2014	निर्माण खुरली श्री पुरुषोतम	3812
32	6/2014	निर्माण खुरली श्री विशम्बर	3812
33	6/2014	निर्माण खुरली श्री मान सिंह	3812
34	6/2014	निर्माण खुरली श्री कांशी राम	3812
35	6/2014	निर्माण खुरली श्री जैसी राम	3812
36	6/2014	निर्माण खुरली श्री कांशी राम	3812
37	6/2014	निर्माण खुरली श्री शेर सिंह	3812
38	6/2014	निर्माण खुरली श्री फीना राम	3812
39	6/2014	निर्माण खुरली श्री सुरेश	3812
40	6/2014	निर्माण खुरली श्री मदन	3812
41	6/2014	निर्माण खुरली श्री सीता राम	3812
42	7/2014	निर्माण खुरली श्री होशियार सिंह	3812
43	7/2014	निर्माण खुरली श्री कुशल सिंह	3812
44	7/2014	निर्माण खुरली श्री प्रताप सिंह	3812
45	7/2014	निर्माण खुरली श्री गुरविन्द्र	3812
46	7/2014	निर्माण खुरली श्री करतार सिंह	3812
47	7/2014	निर्माण खुरली श्री ओम प्रकाश	3812
48	7/2014	निर्माण खुरली श्री कमलेश	3812
49	7/2014	निर्माण खुरली श्री सुभाष चन्द	3812

IWMP II

8	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री तारा चन्द	(ii)4657
1	5/2015		(ii)1284
9	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री वरिन्द्र	(ii)4657
2	5/2015		(ii)1284
10	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री सोमराज	(ii)4657
3	5/2015		(ii)1284
11	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री देसराज	(ii)4657
4	5/2015		(ii)1284
12	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री हरीराम	(ii)4657
5	5/2015		(ii)1284

13	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री देसराज	(ii)4657
6	5/2015		(ii)1284
14	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री विजय कुमार	(ii)4657
7	5/2015		(ii)1284
15	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्रीमति संतोष कुमारी	(ii)4657
8	5/2015		(ii)1284
16	3/2015	निर्माण केंचुआ गढ़ा श्री मोहर सिंह	(ii)4657
9	5/2015		(ii)1284
52	10/2014	पौधों का क्रय (वितरण करने हेतु)	23960
		योग	**₹256593**

लाभार्थियों से 20% की दर से WDF की वसूली योग्य राशि = 51319 (256593X20%)

13 मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹2.46 लाख के निर्माण कार्यों का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के **द्वारा** जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की **मूल्यांकन** के पश्चात ही पंचायत **द्वारा** भुगतान किया जाएगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा** ₹246053 का भुगतान **मूल्यांकन** के बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए **मूल्यांकन** के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए ।

वाउचर संख्या	**मास**	**निर्माण कार्य का नाम**	**राशि**
MANREGA			
27	7/2014	निर्माण लिंक रोड डिब्लाहड से डिबू	23254
28	7/2014	निर्माण लिंक रोड डिब्लाहड से डिबू	17556
31	7/2014	निर्माण लिंक रोड देवराज के घर से कुलदीप सिंह के घर तक	18788
32	7/2014	निर्माण लिंक रोड खबली से सुभाष चन्द के घर तक	24486
8/1	6/2015	निर्माण लिंक रोड खबली से सुभाष चन्द के घर तक	14168
12	6/2015	निर्माण कुआँ नजीर वर्मा की जमीन में	11826
13	6/2015	निर्माण लिंक रोड डिब्लाहड से डिबू	2710
16	6/2015	निर्माण कुआँ नजीर वर्मा की जमीन में	12474
38	7/2016	निर्माण कुआँ विजय कुमार की जमीन में	21260
VKVNY			
6	**3/2017**	निर्माण रास्ता सुभाष के घर से खबली दोसडका तक	16504
ZP/13th FC/14th FC			
24	3/2017	मुरम्मत पुली गुरविन्द्र के घर के पास	4408
25	3/2017	मुरम्मत पुली गुरविन्द्र के घर के पास	6840
26	3/2017	मुरम्मत पुली गुरविन्द्र के घर के पास	30000
IWMP II			
32	3/2017	मुरम्मत वावडी चेलिआं	11462
33	3/2017	निर्माण टैंक रत्न चन्द की जमीन में	17220
34	3/2017	निर्माण टैंक रत्न चन्द की जमीन में	7933

35	3/2017	मुरम्मत वावडी चेलियाँ	5164
		योग	**₹246053**

14 MNREGA से क्रय किये गये सीमेंट ₹2.20 लाख के मूल बिल उपलब्ध न करवाना:-

MANREGA रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 7-3-2017 को सिविल सप्लाई कारपोरेशन देहरा से 782 बैग सीमेंट ₹281 प्रति बैग की दर से क्रय करने के लिए ₹219742 का भुगतान FTO **द्वारा** दर्शाया गया है परन्तु भुगतान के समर्थन में मूल प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

15 ZP/13ththFC/14thth FC के मूल वाउचर्स उपलब्ध न करवाना:-

रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 26/1 मास 7/2014 के **द्वारा ₹2200** का आहरण किया गया परन्तु न तो रोकड़ वही में आहरण का प्रायोजन दिया गया और न ही आहरण के समर्थन में मूल बिल उपलब्ध करवाया गया था । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा **₹2200 की वसूली सम्बन्धित से की जाये** ।

16 निविदाओं के बिना क्रय करना :---

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) के **द्वारा** जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना किये बिना ग्राम पंचायत खबली द्वारा निविदाओं के बिना निर्माण सामग्री का क्रय किया गया जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए ।

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत **द्वारा** प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30

2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

20 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

---

21 निष्कर्ष :-

लेखाओं का रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त रोकड़ वही तथा बैंक में जमा राशि के अंतर का शीघ्र मिलान करने हेतु दिशा निर्देश जारी करने के लिए मामला ग्राम पंचायत के उच्चाधिकारियो के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)133/2017 खण्ड–1–1245–1248
दिनांक19.02.2018 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. **निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।**
2. **जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0**
3. **खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0**

पंजीकृत 4. **सचिव, ग्राम पंचायत खबली, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046